साचका स0–7/MCH-35-46/2023 – 531 (7)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक–20 / 03 / 2025

विषयः– बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर, पटना के भवन निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू० 1,38,19,00,000/–(रूपये एक अरब अड़तीस करोड़ उन्नीस लाख) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-I" के अन्तर्गत अतिरिक्त किस्त के रूप में स्वीकृत राशि रू0 45,00,00,000/–(रुपये पैंतालिस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या–660(7), दिनांक–15.03.2024 द्वारा बिहार की जनता को गुणवत्तायुक्त चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी योजना के रूप में सात निश्चय–2 अन्तर्गत स्थापित बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर, पटना के भवन निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर रू० 1,38,19,00,000/–(रूपये एक अरब अड़तीस करोड़ उन्नीस लाख) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2– भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक– F.No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Bihar, दिनांक–24.01..2025, एव F.No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Bihar- SACE-54, दिनांक–24.01. 2025 तथा वित्त विभाग के पत्रांक–69/वि0 दिनांक–27.01.2025 के द्वारा निर्माण का कार्य करने हेतु पूर्व स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-I " के तहत अतिरिक्त किस्त के रूप में स्वास्थ्य विभाग को इस परियोजना हेतु कुल रु0 45.00 करोड मात्र की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

3– उक्त परिप्रेक्ष्य मे बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर, पटना के भवन निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू० 1,38,19,00,000/–(रूपये एक अरब अडतीस करोड उन्नीस लाख) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-I" के अन्तर्गत अतिरिक्त किस्त के रूप में स्वीकृत राशि रू0 45,00,00,000/–(रुपये पैंतालिस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा राज्यादेश स0–660(7), दिनांक–15.03.2024 मे वर्णित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

5– इस पर होने वाले व्यय का वहन मॉग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0111–मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड–20–4210011100111 अंतर्गत विषय शीर्ष 53–मुख्य कार्य के 0111–53–01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित/अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जाएगा।

6– इस राशि की निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकारी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

7– वित्त विभागीय पत्र संख्या–632वि०, दिनाक–04.07.2023 के क्रम मे निर्गत वित्त विभागीय पत्र संख्या–10792/वि०, दिनांक–06.12.2023 के क्रम मे "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25" के लिए पूजीगत परियोजनाओं से संबंधित चालू योजनाओ के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता मे हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैक खाते में हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID------- में जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता मे हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैक खाते मे हस्तान्तरित कर दिशा–निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

8– वित्त विभागीय पत्रांक–432/वि०, दिनांक–29.03.2023 एवं पत्रांक–69/वि०, दिनांक–27.01.2025 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र GFR 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

9– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनाक–17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक–06.05.06, 2938/वि0(2), दिनाक–08.04.08 एवं 3758/वि0(2), दिनांक–31.05.2017, 7111/वि०(2), दिनांक–28.07.2022, पत्रांक–6439/वि०, दिनांक–28.08.2018 एवं पत्रांक– 12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

10– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11– प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

12– प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–7/MCH-35-46/2023 के पृष्ठ–12/टि0 पर प्राप्त है।

13– यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शैलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–7/MCH-35-46/2023 – 531 (7) पटना दिनांक–20/03/2025

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना/कुलपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव।